

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०संख्या-1जी०/ई०प्र०क०-30-13/2015-1181

पटना, दिनांक-4/9/15

आदेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन कल्याण सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को अपर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पत्रांक 3476 दिनांक 03.08.2015 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कंडिका-4 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है:-

क्रमांक	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन जिला/स्थान	स्थानान्तरित जिला एवं स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री उपेन्द्र मंडल	जिला कल्याण कार्यालय, रोहतास	जिला कल्याण कार्यालय, बांका प्रतिनियुक्त जिला कल्याण कार्यालय, भागलपुर के अधीन	अभ्यावेदन के आधार पर
2	श्री त्रिभुवन राम	जिला कल्याण कार्यालय, रोहतास	जिला कल्याण कार्यालय, सीतामढ़ी	
3	श्री साकेत बिहारी	जिला कल्याण कार्यालय, बेगुसराय	जिला कल्याण कार्यालय, मधेपुरा	
4	श्री रत्नेश कुमार सिंह	जिला कल्याण कार्यालय, बांका	जिला कल्याण कार्यालय, पूर्णियां	पूर्व आदेश संख्या 1540 दिनांक 13.08.2015 को संशोधित करते हुए
5	श्री संजय कुमार	जिला कल्याण कार्यालय, मुजफ्फरपुर	जिला कल्याण कार्यालय, गया	अगले आदेश तक छात्रवृत्ति कार्य हेतु मुख्यालय में प्रतिनियुक्त
6	श्री महेन्द्र प्रसाद सिन्हा	जिला कल्याण कार्यालय, मधुबनी	जिला कल्याण कार्यालय, नवादा	
7	श्री संजय कुमार	जिला कल्याण कार्यालय, शिवहर	जिला कल्याण कार्यालय, वैशाली	
8	श्री आलोक कुमार	जिला कल्याण कार्यालय, पूर्वी चम्पारण	जिला कल्याण कार्यालय, मधेपुरा	
9	श्री उमेश प्रसाद	जिला कल्याण कार्यालय, गया	जिला कल्याण कार्यालय, सीतामढ़ी	
10	श्री मृत्युंजय नारायण सिंह	जिला कल्याण कार्यालय, पूर्णियां	जिला कल्याण कार्यालय, अरवल	अभ्यावेदन के आधार पर आदेश संख्या 1540 दिनांक 13.08.2015 के क्रमांक 25 को संशोधित करते हुए

- 2- सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानांतरित स्थान पर अविलम्ब योगदान समर्पित करें तथा इससे विभाग को भी अवगत करायें।
- 3- सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त स्थानांतरित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को पत्र प्राप्ति के साथ ही विरमित किया जाना सुनिश्चित किया जाय ताकि स्थानांतरित प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों को माह, सितम्बर 2015 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से प्राप्त हो सके।
- 4- वैसे प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो छात्रवृत्ति कार्य हेतु निदेशालय/मुख्यालय में प्रतिनियुक्त हैं, वे इस आदेश के निर्गत के उपरांत भी अगले आदेश तक मुख्यालय में प्रतिनियुक्त रहेंगे।
- 5- प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-1जी0/ई0प्र0क0स्था0-30-13/2015- 1181

प्रतिलिपि- सचिव के आप्त सचिव/निदेशक/विशेष सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक 4/9/15

ज्ञापांक-1जी0/ई0प्र0क0स्था0-30-13/2015- 1181

प्रतिलिपि- संबंधित उपनिदेशक, कल्याण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/संबंधित विभागीय निगरानी शाखा/आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि विभागीय निर्गत आदेश को शीघ्र कार्यान्वयन हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक 4/9/15

सरकार के विशेष सचिव।